प्रेस विज्ञप्ति
19.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू), मेरठ के पूर्व कुलपति रामपाल सिंह और उनके आरपी सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित 3.21 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां संस्थागत भूमि और दो मंजिला आवासीय भवन के रूप में हैं जो क्रमशः उत्तर प्रदेश के बदायूं और बरेली जिलों में स्थित हैं।

ईडी ने डॉ. रामपाल सिंह, पूर्व कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (पूर्व में मेरठ विश्वविद्यालय) और अन्य के खिलाफ सतर्कता विभाग, मेरठ सेक्टर, उत्तर प्रदेश द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार के सतर्कता विभाग ने डॉ.रामपाल सिंह के विरुद्ध जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर उन्हें वर्ष 2003 से 2005 की अवधि के दौरान विभिन्न अनियमितताओं का दोषी पाया गया। उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार, डॉ.रामपाल सिंह और अन्य पर सीपीएमटी (कंबाइंड प्री-मेडिकल टेस्ट) प्रवेश परीक्षा-2004 के आयोजन में अनियमितताएं, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति और विश्वविद्यालयों की कई प्रक्रियाओं और मानदंडों का उल्लंघन करते हुए कॉलेजों को संबंधन प्रदान करने के आरोप लगाए गए हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (यूपी) के कुलपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन पर विभिन्न अनियमितताओं का दोषी होने के आरोप लगाए गए हैं।

ईडी की जांच से पता चला है कि डॉ. रामपाल सिंह ने सीसीएस यूनिवर्सिटी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होकर विश्वविद्यालय की कई प्रक्रियाओं और मानदंडों का उल्लंघन किया, जिससे सरकार को 3.64 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान हुआ और अपराध अवधि के दौरान उन्होंने कई संपत्तियां अर्जित कीं। कुर्क की गई संपत्तियां अपराध अवधि के दौरान और उसके तुरंत बाद अर्जित की गई हैं और इनका कुल मूल्य 3.21 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच जारी है।